

प्रेषक,

अखिलेश दुबे,

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,

जनपद हाथरस ।

सेवा में,

श्रीमान उपनिबन्धक (एडमिन. मिस.-1),

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद ।

पत्रांक: 174 /XV-सिविल,

हाथरस:

दिनांक: 29-09-2021

विषय: स्वयं के आँख के इलाज एवं चश्मा बनवाने में व्यय हुयी धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में ।

आदरणीय महोदय,


उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 11339 / IV-2656 / एडमिन. ए-1 सै., दिनांकित 18.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मेरे स्वयं के आँख के इलाज एवं चश्मा बनवाने के सम्बन्ध में उमा शंकर दीक्षित जिला संयुक्त पुरुष अस्पताल, उन्नाव में 30.06.2020 से 08.07.2020 तक उपचार कराने के बाद की तकनीकी जाँच के पश्चात प्रेषित चिकित्सा प्रतिपूर्ति (चश्मे की खरीद पर व्यय) दावे रु0 14,000/- के सम्बन्ध में घोषणापत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

उक्त के अनुपालन में यह निवेदन है कि दिनांक उक्त दावे 30.06.2020 से 08.07.2020 से तीन वर्ष पूर्व की अवधि में मेरे द्वारा आँख के उपचार एवं चश्मा बनवाने का दावा न तो किया गया है न ही लिया गया है । जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा जारी घोषणापत्र की मूलप्रति संलग्न है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक/बिल की मूलप्रति व अन्य प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

सादर ।

भवदीय

दिनांक: 29.09.2021



(अखिलेश दुबे) 29.09.2021
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
हाथरस ।

संलग्नक :-

1. घोषणा पत्र की मूल प्रति ।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, हाथरस द्वारा पत्रांक मु0 चि0 अ0 / चि0 प्र0 पूर्ति / 2020 / 0037268 / हाथरस / 1173 दिनांकित 23.12.2020 मूल रूप में ।
3. तकनीकी परीक्षण प्रमाणीकरण प्रारूप-1 मूल रूप में ।
4. प्रतिहस्ताक्षरित आनलाईन प्रमाण-पत्र ।
5. चिकित्सक द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र-ए मय समस्त बिल, वाऊचर मूल रूप में ।
6. अनुसचिव उ०प्र०शासन द्वारा जारी विलंब मर्षण/शिथिलीकरण के संबंध में पत्रांक सं० 403/ दो-4-2021-53(18)/2011 की प्रति।

घोषणापत्र

मैं, अखिलेश दुबे, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हाथरस यह घोषणा करता हूँ कि प्रस्तुत चिकित्सीय दावा (आंख का इलाज एवं चश्मा बनवाने की प्रतिपूर्ति) दिनांक 30-06-2020 से 08-07-2020 से तीन वर्ष पूर्व की अवधि में मेरे द्वारा आंख के उपचार व चश्मा बनवाने का दावा न तो किया गया है, न ही लिया गया है। प्रस्तुत दावे से पूर्व पूरे सेवाकाल में मेरे द्वारा आंख के इलाज व चश्मा बनवाने का कोई दावा नहीं किया/लिया गया है।


(अखिलेश दुबे)
29-09-2021
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
हाथरस